कार्यालय पुलिस उपायुक्त, काशी जोन, पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी।

प्रेस-नोट

दिनांक 30.09.2025

विषयः- थाना लंका पुलिस द्वारा जान से मारने की नियत से फायरिंग करने वाले 02 शातिर अभियुक्तगण गिरफ्तार।

श्रीमान् पुलिस आयुक्त महोदय कमिश्नरेट वाराणसी द्वारा अपराधों की रोकथाम एवं घटित अपराधों में संलिप्त अपराधियों/ अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु दिए गए निर्देशों के अनुपालन में पुलिस उपायुक्त, काशी जोन, कमिश्नरेट वाराणसी के निर्देशन में व अपर पुलिस उपायुक्त, काशी जोन, कमिश्नरेट वाराणसी व सहायक पुलिस आयुक्त भेलूपुर के मार्गदर्शन एवं थाना प्रभारी लंका के कुशल नेतृत्व में दिनांक 30.09.2025 को थाना लंका पुलिस टीम द्वारा मु0अ0सं0- 0400/2025 धारा- 190/191(3)/109(1) बीएनएस व बढोत्तरी धारा 3(5) बीएनएस से सम्बंधित अभियुक्तगण 1. सौरभ सिंह उर्फ शेरु पुत्र निकेश कुमार सिंह निवासी समुदपुर बलुआ थाना बलुआ जनपद चन्दौली उम्र 23 वर्ष, 02. अरमान खान पुत्र तुफैल खान निवासी अरैल चैनपुर कैमूर भभुआ बिहार हाल पता टाण्डा बलुआ थाना बलुआ जनपद चन्दौली उम्र करीब 22 वर्ष को सामनेघाट जजेज गेस्ट हाउस के सामने से गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना विवरणः-

दिनांक 28.09.2025 की रात्रि में शिकायतकर्ता द्वारा थाना लंका पर सूचना दी गयी कि कुछ युवकों द्वारा मेरे दोस्त व मुझे जान से मारने के नियत से फायरिंग की गई, निशाना चूक जाने से मैं व मेरे दोस्त बच गये। प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना लंका पर मु0अ0सं0- 0400/2025 धारा- 190/191(3)/109(1) बीएनएस व बढोत्तरी धारा 3(5) बीएनएस में अभियोग पंजीकृत करते हुए अभियुक्तगण की तलाश पतारसी सुरागरसी करते हुए घटना में शामिल दो अभियुक्तगण को चिन्हित करते हुए जजेज गेस्ट हाउस के सामने से गिरफ्तार किया गया।

पूछताछ विवरण-

अभियुक्तगण द्वारा संयुक्त रुप से बताया जा रहा है कि दिनांक 28.09.2025 की शाम को पुरानी रंजिश के चलते हम लोगों के द्वारा अपने साथियों के साथ मिलकर 02 लोगो पर जान से मारने की नियत से फायरिंग की गई। निशाना चूक जाने के बाद हम लोग वहां से फरार हो गये थें। जब हमे पता चला की पुलिस हमारे पीछे पड़ी है तो हम दूसरे शहर भागने की फिराक में थें की आप लोगो द्वारा हमें पकड़ लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता-

1. सौरभ सिंह उर्फ शेरु पुत्र निकेश कुमार सिंह निवासी समुदपुर बलुआ थाना बलुआ जनपद चन्दौली उम्र 23 वर्ष।
2. अरमान खान पुत्र तुफैल खान निवासी अरैल चैनपुर कैमूर भभुआ विहार हाल पता टाण्डा बलुआ थाना बलुआ जनपद चन्दौली उम्र करीब 22 वर्ष।

गिरफ्तारी का दिनांक व स्थान- दिनांक गिरफ्तारी 30.09.2025 को स्थान-जजेज गेस्ट हाउस के सामने, थाना क्षेत्र लंका, कमि0 वाराणसी।

पंजीकृत अभियोग का विवरण -

1. मु0अ0सं0- 0400/2025 धारा- 190/191(3)/109(1) बीएनएस व बढोत्तरी धारा 3(5) बीएनएस थाना लंका, कमि0 वाराणसी ।

<u>आपराधिक इतिहास अभियुक्त अरमान खान</u>

1. मु0अ0सं0 0400/2025 धारा 190/191(3)/109(1) बीएनएस व बढोत्तरी धारा 3(5) बीएनएस थाना लंका, कमि0 वाराणसी।

2. मु0अ0सं0 0127/2021 धारा 323/498-ए/506 भादवि व 3/4 डीपी एक्ट थाना बलुआ जनपद चन्दौली।

<u>विवरण बरामदगी-</u> घटना में प्रयुक्त बिना नम्बर प्लेट के 01 पल्सर मोटरसाईकिल ।

<u>गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली पुलिस टीम</u>

1. श्री राजकुमार, प्रभारी निरीक्षक, थाना लंका, कमि0 वाराणसी ।
2. उ0नि0 शिवाकर मिश्रा, चौकी प्रभारी नगवां, थाना लंका, कमि0 वाराणसी ।
3. उ0नि0 नवीन चतुर्वेदी, थाना लंका, कमि0 वाराणसी ।
4. उ0नि0 स्वप्निल सिंह, थाना लंका, कमि0 वाराणसी ।
5. का0 अमित कुमार शुक्ला, थाना लंका, कमि0 वाराणसी ।
6. का0 कृष्णकान्त पाण्डेय, थाना लंका, कमि0 वाराणसी ।
7. का0 सूरज सिंह, थाना लंका, कमि0 वाराणसी ।
8. का0 प्रशान्त तिवारी, सर्विलांस सेल, कमि0 वाराणसी ।
9. हे0का0 विपिन विहारी ओझा, थाना लंका, कमि0 वाराणसी ।
10. का0 रवि सिंह यादव, थाना लंका, कमि0 वाराणसी ।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त काशी जोन
कमिश्नरेट वाराणसी